रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1987/माघ 1, 1908
No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1987/MAGHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 28 (अ):— आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड–3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए आदेश देती है, अर्थात:—

1. (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1987 कहा जाए ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में :—

(1) भाग-ख, अनुसूची-1 में "क्रम सं. 40 (3) से 40(6)" को क्रम सं. 40(3) से 40(5) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम सं. 40(5) के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि वहां पर जोड़ दी जाएगी:—

"40(6)-मूंगफली (चूर्ण) (तेल रहित मूंगफली खली जो खाद्य के उद्देश्य के लिए न हों)"

(2) ख. ना. ला.-3, अनुसूची-3 में क्रम सं. 25ञ के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थात

1	2	3	4
"25फ	मूंगफली चूर्ण (तेल रहित मूंगफली खली जो खाने के उद्देश्य से न हो)	ख. 40(6)	—"

[सं. ई (सी) ओ, 1977/ए एम (334)/फा. सं. 44/1/86-ई-2]

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

पाद टिप्पणी:— मुख्य आदेश अर्थात निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 भारत के राजपत्र, 1977 (असाधारण) के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (2) में पृष्ठ 1271 पर अधिसूचना एस ओ सं. 254 (ई) दिनांक 24-3-77 द्वारा प्रकाशित किया गया और समय-समय पर संशोधित किया गया ।

अंतिम संशोधन सं. नि(नि) आ. 1977/ए एम(333) दिनांक 13-1-87 भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड-2 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st January, 1987

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O.28 (E):—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977 namely:—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Exports (Control) Order, 1977 :—

(i) In Part 'B', Schedule I the serial number "40 (iii) to 40 (vi)" shall be re-numbered as serial number "40(ii) to 40(v)" and after these renumbered serial number 40 (v) the following serial number and entry thereto shall be inserted, namely :—

"40(vi)—Peanut Meal (Deoiled Groundnut Cake not meant for edible pruposes)."

(ii) In OGL—3, Sechedule III, after serial number 25 H, the following serial number and entry thereto shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.	4.
"25-I	Peanut Meal (Deoiled Groundnut Cake not meant for edible purposes)	B.40(vi)	— ".

[No. E.(C)O, 1977/AM/334/file No. 44/1/86-E.II]

R.L. Misra,
Chief Controller of Imports And Exports

Footnote:— Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977, published vide Notification S.O.No. 254(E), dated 24-3-1977, published in Gazette of India, 1977 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section(ii) page 1271, as amended from time to time.
The last Amendment made vide No. E(C)O, 1977/AM (333) dated 13-1-1987 in Part II, Section 3, Sub-Section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987